केंद्रीय बैंकों को भी कैपिटल इन्फ्यूजन की आवश्यकता

लेखक- पुलप्री बालकृष्णन (प्रोफेसर, अशोक विश्वविद्यालय)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-III (भारतीय अर्थव्यवस्था) से संबंधित है।

द हिन्दू

29 जून, 2019

"आरबीआई (RBI) को स्वतंत्र रूप से कार्य करते हुए पुराने विचारों के अधीन होने से बचना होगा।"

किसी देश का केंद्रीय बैंक अपनी वित्तीय प्रणाली के सर्वोच्च स्थान पर स्थित होता है और इसलिए इसकी स्थिरता सुनिश्चित करना सबसे अधिक अनिवार्य है। समय-समय पर केंद्रीय बैंक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कैपिटल इन्फ्यूजन (अतिरिक्त धन डालना) के माध्यम से तनावग्रस्त वाणिज्यिक बैंकों की समस्या दूर करता रहता है। इसलिए यदि कोई यह कहे कि कभी-कभी केंद्रीय बैंक को भी कैपिटल इन्फ्यूजन की आवश्यकता पड़ती है, तो यह अजीब लग सकता है। सभी केंद्रीय बैंक अपने परिचालन से अधिशेष बनाते हैं और वास्तव में अपनी सरकारों को लाभांश का भुगतान करते हैं। हालांकि, पहेली तब हल हो जाती है, जब हम पहचानते हैं कि पूंजी न केवल धन है, बल्कि एक विचार भी है।

भूमिका को प्रतिबिंबित करने का समय

इस संदर्भ में, अर्थव्यवस्था में कई विचारों में से एक विचार केंद्रीय बैंक की भूमिका से संबंधित है। इस मुद्दे को आधी सदी से भी अधिक समय बाद लाया जा रहा है क्योंकि भारत में एक केंद्रीय बैंक स्थापित किए जाने के बाद मूल अवधारणा में कुछ समस्याओं के रूप में व्याख्या की आवश्यकता नहीं थी। एक बार बनाई गई आर्थिक व्यवस्था हमेशा के लिए वही व्यवस्था बनी रहे ऐसा संभव नहीं है। यह केंद्रीय बैंकों से भी संबंधित है। भारत में केंद्रीय बैंक की भूमिका को प्रतिबिंबित करने का समय है क्योंकि हम भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के उच्च पारितंत्रों में आसन्न परिवर्तनों के बारे में हमेशा सुनते रहते हैं।

मीडिया कवरेज ने अपने कुछ पदाधिकारियों और भारत सरकार के बीच मतभेदों पर ध्यान केंद्रित किया है, लेकिन यह मौद्रिक नीति की भूमिका पर उनके बीच समझौते के इस बिंदु से परे है। इसके अलावा, अब लगभग पाँच वर्षों के लिए, सरकार और आरबीआई ने राजकोषीय संकुचन और मौद्रिक नीति को कठोर बनाने के माध्यम से एक अपस्फीति की व्यापक आर्थिक नीति लागू की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वित्त मंत्रियों में से एक ने व्यापक आर्थिक स्थिरता की अवधि में सरकार के लिए क्रेडिट का दावा किया है। हालांकि, यह अर्थव्यवस्था को कितना लाभ पहुँचाएगा, यह एक सवाल ही है।

कम मुद्रास्फीति और छोटे बजट घाटे का एक संयोजन वाशिंगटन सर्वसम्मति के उपाय के बीच था, जिसने 1990 के दशक से लगभग डेढ़ दशक तक शासन किया था। पूर्व सोवियत संघ के विघटन और इसका पूर्वी यूरोपीय क्षेत्रों में प्रभाव कम होने के बाद, इस आम सहमति ने, यू.एस. के बढ़ते प्रभाव के माध्यम से, भारत जैसे तथाकथित उभरते बाजारों में नीति निर्माताओं को कमजोर बना दिया।

2008 में अमेरिका से शुरू हुआ वैश्विक वित्तीय संकट जल्द ही भारत सहित दुनिया भर में फैल गया। विकास धीमा हुआ और बेरोजगारी बढ़ी। ओबामा प्रशासन ने हस्तक्षेप करने में संकोच नहीं किया, फेडरल रिजर्व बैंक द्वारा दृढ़ता से समर्थन किया गया। राजकोषीय घाटा तीन गुना बढ़ गया और धन की आपूर्ति कम हो गई, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि महँगाई नहीं बढ़ी।

मैक्रो इकॉनॉमिक्स (macro economics) पर पुनर्विचार

वैश्विक वित्तीय संकट ने मैक्रो इकॉनॉमिक्स पर फिर से सोचने पर मजबूर किया। मुख्य संशोधन यह है कि मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण द्वारा परिभाषित मौद्रिक नीति को अब व्यापक आर्थिक नीति के केंद्र बिंदु के रूप में नहीं माना जा सकता है और इस राजकोषीय नीति का उपयोग अर्थव्यवस्था को जरूरत पड़ने पर स्थिर करने के लिए किया जाना चाहिए, जिसमें वित्तीय नियमन भी शामिल हो। मुद्रास्फीति के लक्ष्यीकरण की सीमा को तब समझा गया, जब महान मॉडरेशन अर्थात् पश्चिम में कम मुद्रास्फीति की

विस्तारित अवधि, वित्तीय संकट में समाप्त हो गई।

यह फेडरल रिजर्व के तत्कालीन गवर्नर एलन ग्रीनस्पैन द्वारा दी गयी सलाह अर्थात् वित्तीय क्षेत्र का सरल विनियमन, आपदा के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाता है। अंत में, यह माना गया है कि राजकोषीय नीति की शक्तिहीनता के दावे अतिरंजित हो सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है जब अर्थव्यवस्था की स्थिति के कारण निजी क्षेत्र पीछे चला जाता है।

सबक से सीखने की आवश्यकता

यह आशा की जाती है कि भारतीय रिजर्व बैंक और आर्थिक नीति-निर्माण प्रतिष्ठान वैश्विक स्तर पर व्यापक आर्थिक विकास की समझ को ध्यान में रखेंगे। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत में नीति निर्धारण अतीत में अटका हुआ है। इन सब बातों का तब कोई फर्क नहीं पड़ता, जब परिणाम अनुकूल रहते हैं। सरकार ने 2011 के बाद से बेरोजगारी बढ़ने के तथ्य को न मानते हुए कम मुद्रास्फीति से परिभाषित मैक्रो इकॉनॉमिक स्थिरता की प्राप्ति का पूरा श्रेय लिया है।

राजकोषीय घाटे में लगातार गिरावट ने आरबीआई का ध्यान उस ओर आकर्षित किया है। यह औपचारिक क्षेत्र में निवेश को प्रभावित करने वाले संभावित ऋणों में गिरावट के साथ किया गया है। मुद्रास्फीति में कमी आई है, लेकिन यह पहले से ही नीचे की ओर बढ़ रहा था, संभवत: धीमी वृद्धि के कारण। इसके बाद तेल की गिरती कीमत से मुद्रास्फीति में कमी को मदद् मिली है। भारत में मुद्रास्फीति को कम करने में मुद्रास्फीति के लक्ष्यीकरण की भूमिका का प्रमाण कमजोर है।

विडंबना यह है कि हम भारत में वैश्विक वित्तीय संकट के एक दृश्य की पुनरावृत्ति कर चुके हैं, जहाँ मुद्रास्फीति पर ध्यान केंद्रित करने वाला एक केंद्रीय बैंक वित्तीय अस्थिरता को कम करने की दृष्टि खो देता है। आईएल एंड एफएस पर संकट, एक समूह कंपनी द्वारा अपने भुगतान दायित्वों पर चूक के साथ, सैकड़ों निवेशकों, बैंकों और म्यूचुअल फंडों के हितों को खतरे में डालना केवल एक विशिष्ट मामला है। बड़ी कहानी बैंकों के नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स (एनपीए) में लगातार बढ़ोत्तरी की है, यहाँ तक कि महंगाई भी कम हो रही है। हमें जरूरत है एक ऐसे केंद्रीय बैंक की जो स्वतंत्र रूप से कार्य करे।

GS World टीम...

भारतीय रिजर्व बैंक

स्थापना

- 1 अप्रैल, 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के तहत भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India&RBI) की स्थापना हुई थी।
- शुरु में रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय कोलकाता में स्थापित किया गया था, जिसे वर्ष 1937 में स्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया।
- केंद्रीय कार्यालय वह कार्यालय है, जहाँ आरबीआई का गवर्नर बैठता है और जहाँ नीतियाँ निर्धारित की जाती हैं।
- वर्ष 1949 में RBI के राष्ट्रीयकरण के बाद से इस पर भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व है, इससे पहले यह निजी स्वामित्त्व वाला था।

प्रस्तावना

- "भारत में मौद्रिक स्थिरता प्राप्त करने की दृष्टि से बैंक नोटों के निर्गम को विनियमित करना तथा प्रारक्षित निधि को बनाए रखना और सामान्य रूप से देश के हित में मुद्रा एवं ऋण प्रणाली को संचालित करना, अत्यधिक जटिल अर्थव्यवस्था की चुनौती से निपटने के लिये आधुनिक मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क रखना, वृद्धि के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना।"

केंद्रीय बोर्ड

- रिजर्व बैंक का कामकाज केंद्रीय निदेशक बोर्ड द्वारा शासित होता है। भारत सरकार के भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के अनुसार इस बोर्ड की नियुक्ति/नामन चार वर्ष के लिये होती है।

गठन

सरकारी निदेशक

- **पूर्ण कालिक :** गवर्नर और अधिकतम चार उप गवर्नर

गैर सरकारी निदेशक

- **सरकार द्वारा नामित :** विभिन्न क्षेत्रों से दस निदेशक और दो सरकारी अधिकारी

- **अन्य चार निदेशक** - चार स्थानीय बोर्डों में से प्रत्येक से एक

प्रमुख कार्य

- बैंक नोटों के निर्गम को नियन्त्रित करना, भारत में मौद्रिक स्थायित्व प्राप्त करने की दृष्टि से प्रारक्षित निधि रखना और सामान्यत: देश के हित में मुद्रा व ऋण प्रणाली परिचालित करना।
- मौद्रिक नीति तैयार करना, उसका कार्यान्वयन और निगरानी करना
- वित्तीय प्रणाली का विनियमन और पर्यवेक्षण करना।
- विदेशी मुद्रा का प्रबन्धन करना।
- मुद्राजारी करना, उसका विनिमय करना और परिचालन योग्य न रहने पर उन्हें नष्ट करना।
- सरकार का बैंकर और बैंकों के बैंकर के रूप में काम करना।
- साख नियन्त्रित करना।
- मुद्रा के लेन-देन को नियंत्रित करना

रिजर्व बैंक की स्वायत्तता

- **आरबीआई अधिनियम की धारा-7 (1):-** के तहत केंद्र सरकार, रिजर्व बैंक के गवर्नर से परामर्श कर बैंक को ऐसे दिशा-निर्देश दे सकती है, जो जनता के हित में आवश्यक हों।
- **सेक्शन-7 (2):-** के तहत इस तरह के किसी भी दिशा-निर्देश के बाद बैंक का काम एक केंद्रीय निदेशक मंडल को सौंप दिया जाएगा। यह निदेशक मंडल बैंक की सभी शक्तियों का उपयोग कर सकता है और रिजर्व बैंक द्वारा किये जाने वाले सभी कार्यों को कर सकता है।
- **सेक्शन- 7(3)** के तहत रिजर्व बैंक के गवर्नर और उनकी अनुपस्थिति में उनके द्वारा नामित डिप्टी गवर्नर की गैर-मौजूदगी में भी केंद्रीय निदेशक मंडल के पास बैंक के सामान्य मामलों एवं कामकाज के सामान्य अधीक्षण एवं निर्देशन की शक्तियाँ होंगी और वह उन सभी शक्तियों का इस्तेमाल कर पाएगा, जिसका अधिकार बैंक के पास है। हालाँकि, आरबीआई की स्वायत्तता को अनिवार्य करने वाला कोई कानूनी प्रावधान नहीं है।

मौद्रिक नीति समिति क्या है?

- केंद्र सरकार द्वारा धारा- 45ZB के तहत गठित मौद्रिक नीति समिति (Monetary Policy Committee-MPC) मुद्रास्फीति लक्ष्य को हासिल करने के लिये आवश्यक नीतिगत ब्याज दर निर्धारित करती है।
- पहले यह काम रिजर्व बैंक के गवर्नर द्वारा किया जाता था।
- रिजर्व बैंक का मौद्रिक नीति विभाग मौद्रिक नीति निर्माण में इस समिति की सहायता करता है तथा अर्थव्यवस्था के सभी हितधारकों के विचारों और रिजर्व बैंक के विश्लेषणात्मक कार्य से नीतिगत रेपो दर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया में योगदान करता है।

Committed To Excellence

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. निम्नलिखित में कौन-सा/से रिजर्व बैंक का/के प्रमुख कार्य है/हैं?

1. मुद्रा के लेन-देन को नियंत्रित करना।
2. मौद्रिक तथा राजकोषीय नीति तैयार करना।
3. विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करना।

सत्य कूट का चयन कीजिए-

(a) केवल 1 (b) 1 और 2

(c) 1 और 3 (d) 2 और 3

Expected Questions (Prelims Exams)

1. Which of the following are main functions of Reserve Bank of India?

1. Regulating the exchange of currency
2. Forming monetary and fiscal polices
3. Management of foreign currency

Select the correct code-

(a) Only 1 (b) 1 and 2

(c) 1 and 3 (d) 2 and 3

Expected Questions (Mains Exams)

प्रश्न: वर्तमान में वैश्विक अर्थव्यवस्था में उभरती चुनौतियों के सन्दर्भ में केन्द्रीय बैंकों की भूमिका महत्त्वपूर्ण हो जाती है। भारत का केन्द्रीय बैंक किन संस्थात्मक तथा परिचालनात्मक समस्याओं का सामना कर रहा है? इसके लिए कौन-से प्रभावी प्रयास किए जाने चाहिए? सुझाव दीजिए। (250 शब्द)

Q. The role of Central Banks becomes important in the emerging challenges in global economy in present times. The Central Bank of India is facing which institutional and operational problems? What effective steps should be taken for its resolution. Suggest. (250 Words)

नोट : 28 जून को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(d) होगा।

Committed To Excel